न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 118/19 (249/2001) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. इलियास पुत्र असरफ

2. ईशाक पुत्र असरफ

3. रज्जाक पुत्र असरफ

4. इसराइल पुत्र असरफ

5. मु0 सकूदन बेवाह असरफ

6. जमीला पुत्री असरफ

7. जुहरा पुत्री असरफ

8. बस्सी पुत्री असरफ

जाति मेवान निवासीयान ग्राम गुवालदा तह0 तिजारा जिला अलवर

:------- अपीलांटस

बनाम

1 मोहम्मदा पुत्र उमराव
2 हुरमता पुत्र उमराव
3 जगमाल पुत्र उमराव
4 छोटे खां पुत्र उमराव

जाति मेवान निवासीयान ग्राम गुवालदा तह0 तिजारा जिला अलवर

:----- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,तिजारा
दिनांक 15.10.2001

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. वकील रेस्पो0 :– श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 17.2.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 699/98 उनवान असरफ बनाम मौहम्मदा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा तथा 197/86 उनवान मौहम्मदा बनाम असरफ अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2001 के खिलाफ है,जिस निर्णय के द्वारा असरफ का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है तथा मौहम्मदा का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी असरफ ने तहत न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 699/98 अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2518, 2543, 2488 वाके ग्राम गुवालदा तहसील तिजारा जिला अलवर के वे खातेदार काश्तकार हैं तथा काबिज हैं । परन्तु प्रतिवादीगण उनके कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते हैं और जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । इसी प्रकार मौहम्मदा वादी ने तहत अदालत में राजस्व वाद संख्या 197/86 प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 2518, 2543 व 2488 के साबिक नम्बरों पर वादी का कब्जा रहा है । साबिक रेकार्ड में कब्जे का अंकन है । टिनेंसी एक्ट लागू होने के दिन भी कब्जा रहा है तथा सम्वत 2022 में वादी खातेदार दर्ज हो गये है । परन्तु बंदोबस्त विभाग ने सम्वत 2029 में प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया । जो कि विधिसम्मत नहीं है । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का अधिकार नहीं है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने इन दोनों दावों को कन्सोलिडेट करके असरफ का वाद संख्या 699/98 अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया है तथा मौहम्मदा का वाद संख्या 197/86 अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर0 टी0 एक्ट डिक्री कर विवादित आराजी का खातेदार का श्तकार घोषित किया है, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

3 बहस के दौरान विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है । राजीनामा में यह तय पाया गया है कि तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । इसलिये मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने इस

4 सम्बन्ध में सी0 पी0 सी0 आदेश 12 नियम 6 के प्रावधान प्रस्तुत किये । विद्वान वकील रेस्पो0 ने भी मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा पर गौर किया । साथ ही राजीनामा के सम्बन्ध में सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । सी0 पी0 सी0 के आदेश 23 नियम 3 में प्रतिपादित किया गया है कि जहां समझौता पक्षकारों द्वारा लिखित हो, हस्ताक्षरित हो, न्यायालय द्वारा तस्दीक हो तथा किसी विधि के तहत पूर्ण हो तो वहां न्यायालय डिकी पारित कर सकेगा । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा आपसी सहमति से पक्षकारों के हस्ताक्षरित है तथा न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया हुआ है तथा किसी विधि द्वारा वर्जित भी प्रतीत नहीं होता है । साथ ही रेस्पो0 ने भी अपीलांट के तथ्यों को स्वीकार कर तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने की सहमति दी है । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 12 नियम 6 में भी स्वीकारोक्तियों के आधार पर निर्णय पारित करने के प्रावधान दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.10.2001 निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7 (अशोक कुमार सोंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर